बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 08 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

जहाँ तक नाम निर्देशन की बात है तो आज दिनांक 08.04.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तहत द्वितीय चरण में 05 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों (किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर तथा बाँका) में नामांकन पत्रों के Withdrawal की तिथि नियत थी इस संदर्भ में स्थिति इस प्रकार है कि पूर्णिया तथा बाँका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई Withdrawal नही हुआ है। तदनुसार स्थिति पूर्णिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 07 (06 पुरूष एवं 01 महिला) तथा बाँका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 10 (पुरूष) अभ्यर्थी चुनाव में खड़े है। किशनगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 15 अभ्यर्थियों में 03 के Withdrawal के बाद 12 (पुरूष), कटिहार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 10 अभ्यथियों में 01 Withdrawal के बाद 09 (08 पुरूष एवं 01 महिला) तथा भागलपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 अभ्यथियों में 01 Withdrawal के बाद 12 (11 पुरूष एवं 01 महिला) अभ्यर्थी चुनाव में खड़े हैं अर्थात् उक्त 05 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 50 अभ्यर्थी चुनाव में खड़े हैं जिनमें 47 पुरूष तथा 03 महिलायें हैं।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में औरंगाबाद जिलांतर्गत वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड किया गया है। भागलपुर जिलांतर्गत लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में एक (01) केस रिकार्ड किया गया है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। नालंदा जिलांतर्गत वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में तीन (03) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार तीन (03) एफआईआर दर्ज है।

आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सम्पत्तियों के मामलें में तीन (03) बैनर लोक सम्पत्ति के मामलें में एक (01) बैनर तथा निजी सम्पत्तियों के मामले में एक (01) पोस्टर के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

दिनांक 07.04.2024 को कुल **₹17.37431**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लिकर–12538.83(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹43.23149**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹109.72684**(लाख) रूपये मूल्य के 250103.51(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹95.01742**(लाख) रूपये मूल्य की 13870.30 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹265.35007**(लाख) रूपये मूल्य की कुल जब्ती प्रतिवेदित है।